1	2	3	4	5	6
Estate Duty	1.00	1.00	1.00	(-).01	+94.11
Wealth Tax	125.00	80.00	90.00	15.32	-53.24
Gift Tax	5.00	14.00	10.00	1.69	+39.66
Customs	25,200	26,450	29,500	5449.72	+11.07
Central Excise Duties	86,530.85	36,732.35	42,579.20	8278.59	+17.36

*Exclusive of cesses not administered by deptt. of Revenue.

विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

2217. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया सरकार की जानकारी में विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगा है और पिछले छ: महीनों के दौरान कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सितम्बर 1994 से फरवरी 1995 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के 423 मामले दर्ज किए और 1.68 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा जब्त की। इस प्रकार के व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब भी कोई विशेष सूचना प्राप्त होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

बैंक और ग्राहकों के बीच मुकदमेबाजी

2218. **श्री ईश दत्त यादव: श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंक ग्राहकों को उनकी शिकायतों का संतोषप्रद निपटारा न होने की सूरत में सिविलि न्यायालयों में जाना पड़ रहा है;

(ख) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार बैंकों और उपभोक्ताओं के बीच बैंक वार-कितने कितने मुकदमें/मामले लंबित हैं; और

(ग) सरकार शिकायत निवारण कक्ष की ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करोड़ रुपये की बकाया धनराशि वाले चूककर्ता

2219. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे चूककर्ताओं की सूची बैंको में परिचालित की है जिनकी ओर एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया धनराशि है और क्या सरकार ने बैंक खातों के ऐसे मामलों की सूची प्रकाशित की है जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने चूककर्ताओं और मुकदमा दायर खातों के बारे मे सूचना एकत्र करने और उसका प्रसार करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन उधार खातों का विस्तृत ब्यौरा प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल और अक्टूबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दें जिन्हें एक करोड़ रुपया या उससे अधिक के बकाया (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों) सहित संदिग्ध, घाटा देने वाली और मुकदमा दायर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम चरण में भारती रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गई सूचना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस आशय के साथ भेजी गई हैं कि वे चूककर्ता उधारकर्त्ताओं द्वारा और उन स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों जिनके नाम सूचों में दिये गये हैं, द्वारा भी अपने नामों पर या अन्य एककों पर जिनसे वे जुड़े हैं, के नाम पर किये गये नये या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोध पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय इसका उपयोग करें। तथापि, सरकार ने उन बैंक खातों से सम्बन्धित मामलों की कोई सूची प्रकाशित नही की है जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किये गये हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।